5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

Rs.20 COURT FEE INDIA TWENTY RUPEES भारत बीस रुपये

न्यायालय श्री मान, राजस्व मंण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश,

निग -1015 - II-16

श्री एस. के. अवस्थी, अभि. द्वारा आज दि 28-3-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

सतीश चंन्द्र जैन आ० स्व० श्री तारांचन्द्र जैन उम्र 62 वर्ष, पेशा ब्यापार निवासी मुख्त्यारगंज सतना तह० रघुराज नगर जिला सतना म० प्र० --

निगराकार

बनाम

1:- तारांचन्द्र जैन तनय स्व० श्री बद्री प्रसाद जैन (फौत)

2:- श्री मती शांन्ती देवी जैन पत्नी स्व० श्री तारांचन्द्र जैन निवासी मुख्त्यार गंज सतना तह० रघुराज नगर जिला सतना म०प्र०,

3:- अनिल कुमार जैन तनय स्व० श्री तारांचन्द्र जैन निवासी पुरानी बजार कर्वी जिला चित्रकूट उ० प्र०,

4:- श्री मती उषा देवी पुत्री स्व० तारांचन्द्र जैन पत्नी श्री लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल निवासी महल कालोनी शिवपुरी म० प्र०,

5:- श्री मती लक्ष्मी देवी पुत्री स्व० तारांचन्द्र जैन पत्नी सुरेश कुमार अग्रवाल निवासी 12/10 डा० लोहिया मार्ग इलाहाबाद उ० प्र०,

6:- श्री मती सरास्वती पुत्री स्व० तारांचन्द्र जैन पत्नी श्री दिलीप अग्रवाल निवासी डायवर्सन रोड मुख्त्यारगंज सतना तह० रघु० जिला सतना म० प्र०--

गैर निगराकार गणं

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० भ० रा० सं०

निगरानी बिरुद्ध, आदेश दि० 17.3.016, पारित द्वारा न्यायालय श्री मान, तहसीलदार वृत बरौंधा

तहसील मझगवां जिला सतना म0 प्र0, जरियें राजस्व

प्रकरण क्र0 17/ए6/013-014,

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न है :-

1:- यह कि आवेदक / निगराकार ने आधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 109, 110 म0 प्र0 कानून मॉल के अन्तर्गत इन आधारों पर बावत नामान्तरण प्रस्तुत किया था, कि आवेदक व अनावेदक क्र0 3 ता 6 आपस में सगे भाई बहिन है, व अनावेदक क्र0 1 व 2 मे से अनावेदक क्र0 1 पिता थें, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और अनावेदक क्र0 2 माँता है, आराजी नं. 56/2/क/1/34 रकबा 0.252 हे0, मौजा रजौला तह0 मझगवां अभिलेखों में पिता के नाम इन्द्राज थी, जरियें रजिस्टर्ड बिक्रय पत्र के द्वारा पिता स्व0 श्री तारांचन्द्र जैन ने क्रय किया था, कब्जा दखल प्राप्त किया था, और भवन बनाया था, तथा पिता की स्व अर्जित संम्पत्ति है, स्व0 तारांचन्द्र जैन ने अपनी स्व अर्जित संम्पत्ति का वसीयतनामा दिनांक 14.2.014 को समक्ष गवाहान निगराकार के हक में लिखा दिया था, और समक्ष नोटरी तस्दीक करा दिया था, उक्त आराजियात के अलावां अन्य दीगर आराजियात का भी वसीयत नामा पिता ,नें लिखाया था, और पिता नें बिना किसी दबाव एवं प्रलोभन के वसीयतनामा लिखाकर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, तारांचन्द्र जैन की मृत्यु दिनांक 16.2.014 को हो गयी थी, उनकी मृत्यु के

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(68)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1015-दो/16 **जिला** - सतना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/05/2019	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार मझगवां के प्रकरण क्र. 17/अ-6/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 17.03.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.2019 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हों। **(बी.एम. शर्मा)** **सदस्य**	